रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 1969/आषाढ़ 28, 1891

No. 110] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 1969/ASADHA 28, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

RESOLUTION

New Delhi, the 19th July 1969

No. 31/7/68-LRIV.—The socio-eclnomic effects of the introduction of automation measures in industry, commerce, administration and other related fields have recently been the subject of a good deal of debate in the country. It has been urged that automation reduces employment potential in individual industries and occupations; on the other hand, it has been argued that automation is part of the modern technological progress, is indispensable for industrial and economic development and helps to create new industries and expand existing industries in a manner which would not be possible without automation. Certain export-oriented industries have also pleaded that, without automation, they cannot compete in foreign markets with manufacturers from other countries which place no restrictions on automation. Government's policy in this regard has been that automation could be introduced but on a selective basis and that technological advance should be regulated to make it consistent with the social good of the community. The criteria which determine such selectivity need to be more clearly defined and for this purpose the Government have decided to set up a Committee.

2. The Committee will consist of the following:

Chairman

Shri R. Venkataraman—Member, Planning Commission.

Members

1. Shri G. Ramanujam.
2. Shri Bagaram Tulpule.
3. Shri Satish Loomba.
4. Shri B. D. Somani.
5. Shri Babubhai M. Chinai.
6. Shri Naval H. Tata
7. Prof. V. M. Dandekar, Director, Gokhale Institute of Economics & Politics, Poona.
8. Prof. V. R. Rao, Computer Centre, Delhi.
9. Brig. B. J. Shahaney, National Instruments, Kotah.
10. Dr. B. S. Garud, General, Manager, Shriram Fertilisers.

3. The following will be the terms of reference of the Committee:—

(1) To review the total effects of the operation of automation in the enterprises in the public and private sectors in which it has been already introduced.

(2) To recommend criteria for the determination of any specific areas and fields in which introduction of measures of automation, including computers, may be permitted or restricted with due regard to—

(i) the need for raising efficiency and productivity in industry and trade, and in particular industries which are export-oriented;

(ii) the requirements of scientific research and development;

(iii) the need for the timely tabulation, analysis, study, etc. of the large masses of data that arise in modern industry, trade, transport, etc; and

(iv) the need for restricting the import of foreign equipment for automation and for encouraging the use of such equipment manufactured in the country.

(3) To recommend safe-guards for avoiding or minimising any harmful social effects of the introduction of automation;

(4) To consider and make recommendations on any other related matters.

4. The Committee is requested to submit its report within a period of one year.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Part I Section (I).

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administration of Union Territories and all other concerned.

No. 31/7/68-LRIV
P. M. NAYAK, Secy.

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1969

संख्या 31/7/68-एल० आर० 4 :—उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में स्वचालित मशीनों के लगाने से होने वाले सामाजिक-आर्थिक परिणाम इस देश में हाल ही में काफी चर्चा के विषय रहे हैं। एक ओर यह कहा जाता है कि जिस उद्योग और कारोबार में स्वचालित मशीनें लगाई जाती हैं, वहां रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, दूसरी ओर यह दलील

की जाती है कि स्वचालन, आधुनिक प्रौद्योगिकी की प्रगति का एक अंश है, वह औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है और वह नये उद्योगों के निर्माण तथा वर्तमान उद्योगों के विस्तार में इन तरीके से सहायता देता है जो इसके बिना संभव नहीं निर्यात करने वाले कुछ उद्योगों ने भी यह दलील दी है कि बिना स्वचालन के वे ऐसे अन्य देशों के निर्माताओं से विदेशी बाजारों में मुकाबला नहीं कर सकते, जिन्होंने स्वचालन के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगाई है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह रही है कि स्वचालित मशीनें लगाई जा सकती हैं, लेकिन चयनात्मक आधार पर और यह कि प्रौद्योगिक प्रगति का विनियमन ऐसा किया जाना चाहिए कि वह जन हित के अनुरूप हो। इस प्रकार की चयनात्मकता की कसौटी का निर्धारण और स्पष्ट रूप से किये जाने की आवश्यकता है और इस प्रयोजन के लिए सरकार ने एक समिति की स्थापना करने का निर्णय किया है।

2. इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री आर० वेंकटारमन, सदस्य, योजना आयोग।

सदस्य

1. श्री जी० रामानुजम।
2. श्री बागाराम तुलपुले।
3. श्री सतीश लूम्बा।
4. श्री बी० डी० सोमानी।
5. श्री बाबूभाई एम० चिनाई।
6. श्री नवल एच० टाटा।
7. प्रो० वी० एन० दांडेकर,

   निदेशक,
   गोखले इंस्टिट्यूट आफ इकनोमिक्स एण्ड पोलिटिक्स, पूना।
8. प्रो० बी० आर० राव,
   कम्प्यूटर सेंटर, दिल्ली।
9. ब्रिगेडियर बी० जे० साहनी,
   नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स, कोटा।
10. डा० बी० एस० गरुड़,
    जनरल मैनेजर,
    श्रीराम फर्टिलाइजर्स।

3. इस समिति के विचारणीय-विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) जिन सरकारी और गैर-सरकारी उद्यमों में स्वचालित मशीनें लगाई जा चुकी हैं उनमें उनके चलाये जाने से हुए कुल परिणामों का पुनरीक्षण करना;

(2) ऐसे किन्हीं विशेष क्षेत्रों को निश्चित करने की कसौटियों की सिफारिश करना जिन में संगणक समेत स्वचालित मशीनें लगाने की अनुमति दी जा सके अथवा निम्न बातों को ध्यान में रख कर रोक लगाई जा सके :—

( ) उद्योग और कारोबार में और विशेष कर निर्यात करने वाले उद्योगों में कार्य-प्रवीणता एवम् उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता;

(ii) वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास की आवश्यकतायें ;

(iii) आधुनिक उद्योग, कारोबार, परिवहन इत्यादि के बड़ी मात्रा में आंकड़ों की उचित समय पर तालिकायें बनाने विश्लेषण, अध्ययन आदि करने की आवश्यकता; और

(iv) स्वचालन के लिए विदेशों से निर्मित सामान के आयात पर रोक लगाने और देश के ही अन्दर बने ऐसे सामान के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।

(3) स्वचालित मशीनों के लगाने से उत्पन्न होने वाले हानिकर सामाजिक प्रभावों को कम-से-कम करने अथवा उन्हें न होने देने के लिए सुरक्षात्मक उपायों की सिफारिश करना ;

(4) किसी अन्य सम्बद्ध विषयों के बारे में विचार करना और सिफारिशें करना ।

4. इस समिति से एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रार्थना की जाती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड (1) में प्रकाशित किया जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों तथा अन्य सभी संबधितों को भेज दी जाय ।

पी० एम० नायक, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969